T-S-90/2022

09-12-24 - Attendance of both parties. Case called out. Heard on petition dt- 18-03-2024 and 29-07-24 hence the case record is fixed to order

Put up on 06-01-25 for order

(I)

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–90/2022

18-03-24 06 R17 allowed

नीलम कुमारी वगैरह................................वादीगण

बनाम

रजनीकांत मिश्रा वगैरह..प्रतिवादीगण

06.01.25 अभिलेख आज वादी की ओर से सुनवाई पश्चात् वादपत्र संशोधन हेतु आवेदन दिनांक–18.03.2024 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–29.07.2024 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि मुकदमा दायर करने के जल्बाजी के कारण कुछ तथ्य टाईपिंग होना छुट गया है जिसे संशोधन के द्वारा लाया जाना आवश्यक है। वादपत्र सशोधन से वाद के स्वरुप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः आवेदनांकित प्रस्तावित संशोधन का स्वीकार करने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि वादी का आवेदन पोषणीय नहीं है, चूँकि प्रतिवादी का प्रतिवाद–पत्र स्वीकृत हो चुका है और आवेदन स्वीकृत होने पर प्रतिवाद–पत्र प्रभावित होगा जिससे प्रतिवादी का हित भी प्रभावित होगा। वादी का उक्त संशोधन आवेदन के कंडिका–1 ता 3 का कथन गलत एवं बेबुनियाद है, चूँकि वाद–विषय के गठन पश्चात् उक्त संशोधन दाखिल किया गया है जिसके लिए पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है तथा वांछित संशोधन से वादपत्र प्रभावित होगा जिसके निस्बत एडवोलेरम न्याय शुल्क भी प्रावधारित है। संशोधन आवेदन केवल वादी सं0–2 द्वारा दाखिल किया गया है जबकि प्रतिवादी से वादी सं0–1 खरीददार है। उक्त संशोधन आवेदन दाखिल कर न्यायालय का समय बर्बाद करने एवं नाहक तंग व परेशान करने के नियत से दाखिल किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद विवाद्यक गठन हेतु लंबित है और उपरोक्त संशोधन वादी द्वारा विवादित भूमि से संबंधित कुछ तथ्य टाईपिंग के कारण छूट जाने का कथन किया गया है जिस कारण वादपत्र में संशोधन चाहते हैं जो हकियत वाद में वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन की दृष्टि से तथा उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है तथा चूँकि वर्तमान वाद विवाद्य गठन नहीं हुआ है और अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। तद्नुसार उपरोक्त संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपना प्रस्तावित संशोधन वादपत्र में दर्ज करें।

वाद दिनांक– 20-01-2025 वास्ते करने संशोधन वादपत्र में एवं विवाद्यक गठन हेतु।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।